



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032021-225609
CG-DL-E-03032021-225609

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 931]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 3, 2021/फाल्गुन 12, 1942

No. 931]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 3, 2021/PHALGUNA 12, 1942

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2021

का.आ. 1005(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना तारीख 27 फरवरी, 1971, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, संख्यांक सा.का.नि. 301(अ), तारीख 1 मार्च, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (xix)(घ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (xix) के अधीन
नामनिर्दिष्ट सदस्य

वह अवधि जिस तक नामनिर्दिष्ट किया गया है

“(xix)(घ) डॉ0 सुनील चन्द्र दुबे, सहायक महानिदेशक
(पादप संरक्षण और जैव सुरक्षा), भारतीय कृषि
अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।

इस अधिसूचना के प्रकाशन से 3 वर्ष की अवधि के लिए”

[फा.सं. 13029/02/2019-पीपी-1]

अतीश चंद्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, संख्यांक सा. का.नि. 301(अ), तारीख 1 मार्च, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें संख्यांक का.आ. 3668(अ), तारीख 19 अक्टूबर, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2021

S.O. 1005(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture), dated the 27th February, 1971 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 301(E), dated the 1st March, 1971, namely:-

In the said notification, for serial number (xix) (d), and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

Member nominated under clause (xix) of sub-section (3) of section 4

Period upto which nominated

“(xix)(d) Dr. Sunil Chandra Dubey, Assistant Director General (Plant Protection & Bio-safety), Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.

For a period of 3 years with effect from the date of publication of this notification.”

[F. No. 13029/02/2019-PP-I]

ATISH CHANDRA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 301(E), dated the 1st March, 1971 and last amended *vide* number S.O. 3668 (E), dated the 19th October, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2021

का.आ. 1006(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 79(अ), तारीख 3 फरवरी, 1997, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, संख्यांक का.आ. 79(अ), तारीख 4 फरवरी, 1997, द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“4. डॉ० सुनील चन्द्र दुबे, सहायक महानिदेशक (पादप संरक्षण और जैव सुरक्षा), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।

सदस्य”।

2. सदस्य तब तक अपना पद धारण करेगा जब तक वह केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड का सदस्य है।

[फा. सं. 13029/02/2019-पीपी-1]

अतीश चंद्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, संख्यांक का.आ.79(अ), तारीख 4 फरवरी, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें संख्यांक का.आ. 3669(अ), तारीख 19 अक्टूबर, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2021

S.O. 1006(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture, (Department of Agriculture and Cooperation), dated the 3rd February, 1997 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 79(E), dated the 4th February, 1997, namely:-

In the said notification, for serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“4. Dr. Sunil Chandra Dubey, Assistant Director General
(Plant Protection & Bio-safety), Indian Council of
Agricultural Research, New Delhi. Member”.

2. A member shall hold office for so long as he is a member of the Central Insecticides Board.

[F. No. 13029/02/2019-PP-I]

ATISH CHANDRA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 79(E), dated the 4th February, 1997 and last amended *vide* number S.O. 3669 (E), dated the 19th October, 2020.